

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/207

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रवर्ग 53	138/24	15/5/24	30/5/24 20/6/24 D.O.E	

अनवान

श्री श्रीरामलाल पुत्र प्रहलाद बंजारा हीरा पुत्र बंजारा

निवासी भोवतपुरा निवासी भोवतपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुबेरा दास

श्री

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पत्रावली

काम

हीरा

किरम मुकदमा

111-128

नम्बर

138

/2024

तारीख
हुकम

हुकम 24 नवम्बर 2024 को इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम का हुकम की तारीख

15 05

पत्रावली के माध्यम से पत्रावली प्रार्थना पत्र दर्ज
किया जाकर पत्रावली को नोटिस में निकल प्रार्थना पत्र जारी
हो। पत्रावली वास्तु तलबी/जवाब दिनांक 30/05/2024 का पेश
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

30/5/24

पत्रावली पेश हुई अधिकारता प्राप्त
उपरिष्ठ। विपक्षीय की बाह्य तलबी
पत्र, जिसे शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली में ल - पक्षीय
आदेश पारित किए गए। पत्रावली
वास्तु निर्णय आगामी 15-05
20/6/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

20/6/24

पत्रावली पेश हुई अधिकारता प्राप्त
उपरिष्ठ। पत्रावली में आदेश
पारित किए गए। तलबीदार बिजौलियां
को पत्रावली लिखा जावे। पत्रावली
में आदेश दिए गए। पत्रावली फंडेशन
सुमार लगेर, नम्बर से कम होकर
दाखिल पत्रावली हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 15/5/24

प्रकरण संख्या :- 138/24

भैरुलाल पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा (राज.)

.....प्राथी

बनाम

हीरा पुत्र बिहारी दादा धन्ना जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 20/6/24

प्रार्थना पत्र प्राथी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खातेदारी भूमि है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्राथी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 173 पर अंकित आराजी संख्या 685/328 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 138/24
प्रेषिति :-

तारीख दायर 15/5/24

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या138..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

भैरूलाल पुत्र प्रहलाद जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

हीरा पुत्र बिहारी दादा धन्ना जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 173 पर अंकित आराजी संख्या 685/328 रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ौसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा